

मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग,


::आदेश::

भोपाल, दिनांक-18.12.2018

फा0कमांक-5369/2018/21-ब(दो), भारत के संविधान के अनुच्छेद 165 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, श्री राजेन्द्र तिवारी, वरिष्ठ अधिवक्ता को उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने के दिनांक से महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश के पद पर नियुक्त करते हैं।

F.No.5369/2018/21-B(II) In exercise of the powers conferred by clause (I) of Article 165 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to appoint Shri Rajendra Tiwari, Senior Advocate to be Advocate General for Madhya Pradesh with effect from the date he assumes charge of his duties.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,


(सत्येन्द्र कुमार सिंह)


प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग,

पृष्ठांक 5369/2018/21-ब(दो),
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक-18.12.2018

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
2. रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर,
3. कार्यालय महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर,
4. कार्यालय अतिरिक्त महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर,
5. श्री राजेन्द्र तिवारी, वरिष्ठ अधिवक्ता, 1524/1, चंद्रिका अपार्टमेंट के पीछे, होम साइंस कालेज रोड़, नेपियर टाऊन, जबलपुर,
6. उप नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स, भोपाल-6, की ओर सूचनार्थ तथा मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक में अनिवार्य रूप से प्रकाशित करने हेतु अग्रेषित।


(गोपाल श्रीवास्तव)

सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग,